फ.न. 01-32/2019-DD-III

भारत सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

सीएडंएजी ने अपनी 2004 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं. 14 में पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मामले उठाये थे। प्रारंभ में सीएजी को ''की गयी कार्रवाई'' टिप्पणी (एटीएन) दिनांक 17.07.2005 को प्रेषित की गयी। यद्यपि सीएंडएजी ने कुछ और अधिक विशेष प्रेक्षणों एवं टिप्पणियों के साथ उक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट 8 दिसंबर, 2005 को वापस लौटा दी। चूंकि लेखा परीक्षा टिप्पणियां अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य संस्थानों के साथ–साथ अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से संबंधित थी, अतः मामला उनके समक्ष रखा गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई के बाद तत्पश्चात दिनांक 23.07.2015 को एटीएन प्रेषित की गयी। यद्यपि सीएजी ने अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराने के लिए पुनः अनुरोध किया। एटीएन को नये फार्मेट में संकलित किया गया और दिनांक 17.07.2017 को प्रेषित की गई। सीएजी कार्यालय ने अपने दिनांक 02.08.2017 के पत्र के द्वारा वित्त मंत्रालय (व्यय) को पृथक फार्मेट में अपनी अंतिम जांच टिप्पणियों पर टिप्पणियों के साथ–साथ दिनांक 17.07.2017 को भेजी गई संपूर्ण एटीएन प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ विभाग को लेखा परीक्षा पर अपनी अंतिम पुनरीक्षण टिप्पणियां प्रस्तुत की।

2. इस बीच में, लोक सभा सचिवालय ने अपने दिनांक 19 जून, 2017 के पत्र द्वारा सूचित किया कि पीएसी की उप–समिति–IV ने 2004 की सीएजी रिपोर्ट पर एटीएन के गैर–प्रस्तुतीकरण से संबंधित मामले को उठाने का निर्णय किया। उठाये गए अधिकांश मामले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। विभाग ने पीएसी प्रश्नों के अपने उत्तरों के प्रस्तुतीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बार–बार अनुरोध किया। उपरोक्त रिपोर्ट संकलित की जा रही है। अभी भी कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना प्राप्त होनी प्रतीक्षित है।

डी .के. पंडा
अवर सचिव